मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रं. / 924/1177/2017/ई/चार — भोपाल,दिनांक 07 अप्रैल'2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत वेतनमान का अनुमोदन संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जाने बावत्।

संदर्भ :– म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रं. एफ–2/9/2013/ 22 /पी–1 भोपाल, दिनांक 24.07.2013.

----00----

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश से प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों को नवीन संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड पे विभिन्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त वेतन के आधार पर ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा वेतन भी आहरित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के लेखों की संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपादित की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा समस्त ग्राम सचिवों के स्वीकृत वेतनामन का अनुमोदन अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा स्तर से सम्पादित कराने के निर्देश दिनांक 11.02.2014 तथा 05.08.2016 को जारी किये गये हैं, परन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये बिना ही वेतन आहरित किया जा रहा है। इस कारण त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की संभावना बनी रहती है तथा इस संबंध में वास्तविक स्वीकृत दिनांक के पूर्व से ही वेतन आहरित करने के संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हो रही है।

अतः ग्राम पंचायत सचिवों को स्वीकृत वेतनमान का अनुमोदन क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा स्तर से कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस संबंध में आप अपने स्तर से ही समुचित निर्देश प्रसारित करें।

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
सचिव
वित्त विभाग, म.प्र.शासन

पृ.क्रं. / 925/1177/2017/ई/चार — भोपाल,दिनांक 07 अप्रैल'2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,मंत्रालय,
2. संचालक, संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर/प्रकोष्ठ–भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा,मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग